

## (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2015

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, (सिविल संनिर्माण काडर) भर्ती नियम, 2000, को जहाँ तक उसका संबंध अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर के पद से, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर सिविल संनिर्माण अधिकारी काडर) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर	*08 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, तकनीकी	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. +ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

**टिप्पण :-**आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम

(6)		
		तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<b>आवश्यक:</b> व्यक्तियों	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले
(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थाओं से सिविल अथवा वैद्युत अथवा यांत्रिकी अथवा वास्तुकला इंजीनियरी में डिग्री अथवा समतुल्य।		के लिए एक वर्ष
(2) सरकारी सेवा अथवा अर्द्ध सरकारी या स्थानीय निकाय में दायित्व वाले पदों पर रहते हुए सिविल संनिर्माण के नियोजन अथवा निष्पादन में दस वर्ष का अनुभव।		
(3) सरकारी सेवा अथवा अर्द्ध सरकारी या स्थानीय निकाय में दायित्व वाले पदों पर रहते हुए कार्यशाला अथवा कारखाना अथवा अनुसंधान स्थापनों की मुख्य समयबद्ध परियोजनाओं के नियोजन अथवा निष्पादन का अनुभव;		
अथवा		
सरकारी सेवा अथवा अर्द्धसरकारी या स्थानीय निकाय में जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए संपदा प्रबंधन का अनुभव (अर्थात् अतिक्रमण, विकास भोगाधिकारों एवं मुकदमेबाजी तथा इनसे संबंधित अन्य मामले) वहाँ बसे लोगों के लिए नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने, संपदा, वृक्षसंवर्धन एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नागरिक करों और इनसे संबंधित अन्य मामलों तथा भूमि अधिग्रहण, विधियों, भूमि मूल्य निर्धारण तकनीकों, बातचीत द्वारा तय क्रय अथवा अचल संपत्ति को किराए पर लेने से संबंधित नियमों की विशेषज्ञ के रूप में जानकारी।		
<b>वांछनीय:</b>		
आवास के पैमानों, बजट मानीटर करने तथा परिमाण सर्वेक्षण की जानकारी		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्त पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

25% प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर भूतपूर्व सेना अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

**प्रोन्नति:**

उप मुख्य संनिर्माण इंजीनियर जिसने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

**टिप्पण 1:**—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2:**—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की सम्पन्ना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति/आमेलन ( सिविलियन अधिकारी ):**

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के या अन्य विभागों या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के अधीन ऐसे सिविलियन अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 7600 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो।

**टिप्पण 1:**—पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3:**—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4:**—प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से

(11)

जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन (सेना अधिकारी)-

निम्नलिखित रैंक की सेना के ऐसे इंजीनियर अधिकारी-

(i) जिन्होंने कर्नल या समतुल्य या लेफ्टिनेंट कर्नल या समतुल्य रैंक में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ii) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) के अधीन विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हता रखते हों।

**टिप्पण 1:-**ऐसे अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

**टिप्पण 2:-**पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 3:-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 4:-**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 5:-**प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. अध्यक्ष, भर्ती और मूल्यांकन केन्द्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/  
वैज्ञानिक 'एच' —सदस्य
3. मुख्य कार्यपालक, (सिविल संनिर्माण और संपदा) —सदस्य
4. निदेशक, कार्मिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन —सदस्य

[फा. सं. डी एच आर डी/17307/सिविल निर्माण/सी/पी/03/4220/रक्षा (अनु. एवं वि.)/14]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 12th January, 2015

**S.R.O. 12.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, (Civil Works Cadre) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Additional Chief Construction Engineer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Chief Construction Engineer in the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development Organisation, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Additional Chief Construction Engineer (Civil Works Officer's Cadre) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time .

## SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Chief Construction Engineer	*08 (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Technical)	Pay Band-4 Rs.37400-67000- plus Grade Pay of Rs. 8700	Selection	Not exceeding 50 years (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)  (The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)

**Essential:**

No

One year for direct recruits

(1) Degree or equivalent in Civil or Electrical or Mechanical or Architecture Engineering from a recognised university or institutions.

(2) Ten years experience in planning or execution of civil works in a responsible position in a Govt service or in a semi Govt or local body.

(3) Experience in planning or execution of major time-bound projects of workshops or factories or Research Establishments in a responsible position in a Govt service or in a semi Govt or local body;

or

Experience in Estate management in a responsible position in a Govt service or in a semi Govt or local body (i.e. encroachments, development, usufructs and litigation and other matters relating thereto) provision of civic amenities

(7)

for inhabited, estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and other matters relating thereto and expert knowledge of Land Acquisition, Laws, Land valuation techniques, rules related to negotiated purchase or hiring of immovable property.

**Desirable :**

Knowledge of scales of accommodation, budget monitoring and quantity surveying.

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment by or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by deputation or promotion or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

75% by promotion, failing which by deputation or absorption, failing both by direct recruitment regular 25% by deputation or absorption failing which by re-employment of ex-service officers failing both by direct recruitment.

**Promotion:**

Deputy Chief Construction Engineer with five years service in the grade:

**Note 1:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations of the has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission.

**Deputation/Absorption (Civilian Officers):**

Civilian Officers of the organised Engineering services of the Central Government or other departments or State Government or public sector undertakings :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' regular service in grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay Scale of , Rs. 15600-39100- plus Grade Pay of Rs. 7600 in PB-3 in the parent cadre or department ; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).

(The Departmental Officers in the feeder category who

(11)

are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer, prior to the 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

**Deputation or Absorption or Re-employment (Service Officers)—**

Engineers officers from the services of the rank of :

(i) Colonel or equivalent or Lieutenant Colonel or equivalent with five years regular service in the rank ; and

(ii) possessing the prescribed educational qualifications and experience for direct recruitment under column (7).

**Note :** The officers who are due to retire, or those who are to be transferred to 'reserve' category within a period of one year and having the requisite experience and qualification shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment terms.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.).

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer, prior to the 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay Commission



(11)	
except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) Consisting of :-	Not applicable.
1. Chairman, Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation	—Chairman
2. Chief Controller, Defence Research and Development Organisation/Scientist 'H	—Member
3. Chief Executive (Civil Works and Estates)	—Member
4. Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation	—Member

[F. No. DHRD/17307/Civil Works/C/P/03/4220/D(R&amp;D)/14]

S. D. BHASOR, Under Secy.